रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 10, 2014/फाल्गुन 19, 1935
No. 116] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 10, 2014/PHALGUNA 19, 1935

विदेश मंत्रालय

(सीपीवी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

सा.का.नि. 165 (अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विदेश मंत्रालय के केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (समूह 'ख' पद, राजपत्रित तथा अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 जहां तक यह सहायक पद से संबंधित हो, उन बातों को छोड़कर, जो की जा चुकी हैं या ऐसे अधिक्रमण से पहले समाप्त की जानी हैं, का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा विदेश मंत्रालय के केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में सहायक पदों की भर्ती के तरीके को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, सहायक (समूह 'ख' पद) भर्ती नियमावली, 2013 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।
2. **प्रयुक्तिः** ये नियम इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट पदों के संबंध में लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे अथवा वेतनमान:** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे जुड़े पे बैंड तथा ग्रेड पे इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं:** भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले अनुसूची के कॉलम (5) से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **अनर्हताः** कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का इकरार किया है जिसकी एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा

(ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह का इकरार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु यह कि यदि केंद्र सरकार इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और इस विवाह में शामिल दूसरे व्यक्ति के संबंध में लागू पर्सनल लॉ के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसे विवाह के लिए दूसरे आधार विद्यमान हैं तो किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **छूट देने की शक्तिः** जहां केंद्र सरकार मानती है कि ऐसा किया जाना जरूरी या अपरिहार्य है, तो वह आदेश पारित करके लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके, व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के प्रवर्तन में छूट प्रदान कर सकती है ।

7. **व्यावृत्तियां:** इन नियमों में कही गयी कोई बात केंद्र सरकार द्वारा समय-समय इस निमित्त जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे	क्या यह चयन अथवा गैर चयन पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक	428* (2013) *कार्यभार के आधार पर पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	पे बैण्ड-2 9300-34800 +ग्रेड पे 4200 रुपए	चयन	आयु सीमा सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा नियमों में अधिसूचित आयु-सीमा के अनुसार होगी।	शैक्षिक अर्हताएं सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सम्मिलित स्नातक स्तरीय नियमों के अनुसार होंगी।

क्या पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु-सीमा तथा शैक्षणिक अर्हताएं अनुज्ञेय है।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/विलयन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति पाने वालों के लिए दो वर्ष	पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति द्वारा 25% सीधी भर्ती द्वारा 25 %

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/विलयन के मामले में वह ग्रेड पदोन्नति/प्रतिनियुक्त/विलयन किया जाना है।	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना क्या है?	जिन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती के मामले में परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नतिः केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के ऐसे उच्च श्रेणी लिपिक (पे बैंड-1, 5200-20200 रुपए +ग्रेड पे 2400 रुपए) जिन्होंने इस ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा की है और अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **नोट 1** : संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर प्रवर श्रेणी लिपिक का पद धारण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में अर्हता सेवा 8 वर्ष ही रहेगी। **नोट 2** : जहां अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों को पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां ऐसे वरिष्ठों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जिनकी अर्हकारी/पात्रता सेवा ऐसी अर्हकारी/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्षों, जो कम हो, की है और जिन्होंने अपने उन कनिष्ठों के साथ, जिन्होंने पहले ही ऐसी अर्हकारी/पात्रता सेवा पूरी की है, अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने हेतु): 1. संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी- केंद्रीय पासपोर्ट संगठन का प्रभारी -अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव केंद्रीय पासपोर्ट संगठन का प्रशासनिक प्रभारी -सदस्य 3. विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव-सदस्य 4. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन का सहायक पासपोर्ट अधिकारी-सदस्य समूह ख विभागीय अभिपुष्टि समिति (अभिपुष्टि पर विचार करने हेतु) 1. संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी केंद्रीय पासपोर्ट संगठन का प्रभारी-अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

नोट 3: पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा की गणना के लिए अधिकारी द्वारा 1.01.2006 अर्थात जिस तिथि से छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधित वेतन ढांचा लागू किया गया, से पहले नियमित आधार पर प्रदान की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए गए समतुल्य ग्रेड पे/वेतनमान में प्रदान की गई सेवा समझी जाएगी। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु पात्रता: केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के उच्च श्रेणी लिपिक जिनके पास इस ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री।	2. निदेशक/उप सचिव-केंद्रीय पासपोर्ट संगठन का प्रशासनिक प्रभारी-सदस्य 3. विदेश मंत्रालय के दो उप सचिव -सदस्य 4. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन का सहायक पासपोर्ट अधिकारी -सदस्य	

[सं. सीडीआर-II/560/1/2013]

मुक्तेश के. परदेशी, संयुक्त सचिव (पीएसपी) तथा मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(Consular Passport and Visa Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March , 2014

G.S.R.165 (E) . – In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization (Group 'B' posts - Gazetted and Non-Gazetted), Recruitment Rules 2010, in so far as it relates to the post of Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant in the Central Passport Organization under the Ministry of External Affairs, namely:-

1. **Short title and Commencement.** – (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organization, Assistant (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Applicability.** – These rules shall apply to the posts mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** - The number of posts, its classification, pay band and the grade or pay scale attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit and other qualifications.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.** – No person,-

shall be eligible for appointment to the said post:

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special category of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade pay	Whether Selection or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and Other Qualification required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant.	428*. (2013) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay Band- 2, Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4200.	Selection.	Age limit shall be such as may be notified by the Government from time to time in the Rules of Combined Graduate Level Examination.	The Educational qualifications shall be such as may be notified by the Government from time to time in the Rules of Combined Graduate Level Examination.

Whether age and Educational Qualifications prescribed for direct recruits will apply with case of promotion	Period of probation, if any	**Method of recruitment** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by vacancy method
(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Two years for Direct recruits and Promotees.	50 per cent by Promotion. 25 per cent by Promotion through Limited Departmental Competitive Examination 25 per cent by Direct recruitment.

1064 GI/14-2

In case of recruitment by Promotion/ Deputation/Absorption, grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitement.
(11)	(12)	(13)
PROMOTION : Upper Division Clerks (Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.2400) of the Central Passport Organization with ten years' regular service in the grade and subject to successful completion of a mandatory training programme: **Note 1 :** The eligibility service shall continue to be eight years in respect of persons holding the post of Upper Division Clerk on regular basis on the date of notification of the Revised Rules. **Note 2:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay or Pay Scale extended based on the recommendations of the Pay Commission. Eligibility for Limited Departmental Competitive Examination : Upper Division Clerks of the Central Passport Organization with five years of regular service in the grade and possessing a Bachelor's Degree from a recognized University or Association of Indian Universities recognized degrees of foreign Universities.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):** 1. Joint Secretary and Chief Passport Officer in-charge of Central Passport Organization - Chairman 2. Director or Deputy Secretary in-charge of Administration of the Central Passport Organization - Member 3. Two Deputy Secretaries from Ministry of External Affairs - Members 4. Assistant Passport Officer of the Central Passport Organization - Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) :** 1. Joint Secretary and Chief Passport Officer in-charge of Central Passport Organization - Chairman 2. Director or Deputy Secretary in-charge of Administration of the Central Passport Organization - Member 3. Two Deputy Secretaries from Ministry of External Affairs - Members 4. Assistant Passport Officer of the Central Passport Organization - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. CDR.II/560/1/2013]

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.